

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़

सेवा में,

प्रबन्धक,
ब्रजभारती स्कूल सुजानपुर
खैर, अलीगढ़।

पत्राक/बे0मान्यता/ -1643

/2013-14

दिनांक--12.7-13

विषय- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009. की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय,

आपके तारीख 26.10.2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं- ब्रजभारती स्कूल सुजानपुर खैर अलीगढ़ को तारीख 01.07.2012 से तारीख 01.07.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 (अग्रेजी माध्यम) तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है।

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध-1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 20 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसइटी/विद्यालय किसी कैंपिडेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (1)-प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जाएगा।
 - (3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृत किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5)-अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कता ग्रन्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6)-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (7)-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (8)-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह कार्यालय-सहमण्डारागार के लिये कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई

वाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता

9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी ।

10-विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकाश के प्रयोजनों के लिये किया जाता है

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12-स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।

13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

14-आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक- है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कामियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

16-सोसाइटी के रजिस्ट्रिकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17-सततन उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

जिला बालक शिक्षा अधिकारी

खलीगढ़